



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 3057046, Fax No .0771- 2429385

क्रमांक/337/विद्यो0/बोनस अंक/2016-17  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/12/16

संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
इंद्रावती भवन, रायपुर

विषय :- बोनस अंक 2016-17 की कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषय में विदित है कि प्रति वर्ष मा0 शि0 म0 द्वारा हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मण्डल के परीक्षा/परीक्षाफल समिति की बैठक दिनांक 30.04.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार खेलकूद संबंधी एवं अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बोनस अंक दिया जाता है। छ0ग0मा0शि0 मण्डल के परीक्षा समिति के बैठक दिनांक 09.12.2016 में बोनस अंक नीति संशोधन/सुधार के तहत लिये गये निर्णय के आधार पर सत्र 2016-17 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके विभिन्न गतिविधियों के लिए खेलकूद, स्काउट गाइड, एन.एस.एस./एन.सी.सी एवं साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए बोनस अंक प्रदान किया जाना है। तत् संबंध में नियम पुस्तिका एवं निर्धारित प्रपत्र संलग्न है। जिसके तहत निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर मण्डल को चयनित विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बोनस अंक संबंधी कार्यवाही मण्डल द्वारा किया जा सके। तत्संबंध में पत्र आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

  
सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल


रायपुर

रायपुर, दिनांक 21/12/16

क्रमांक/338/विद्यो0/बोनस अंक/2016-17

प्रतिलिपि :-

- 1 मंत्री, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के निज सहायक मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2 सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग सचिवालय महानदी भवन, रायपुर।
- 3 अध्यक्ष/सचिव, के निज सहायक छ0ग0 मा0 शि0 मण्डल रायपुर।
- 4 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
- 5 आयुक्त आदिवासी विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विवि0 परिसर, रायपुर।
- 6 समस्त संबंधित राज्य/विभाग प्रमुख (खेलकूद/NCC/NSS/स्काउट गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम ).....  
को आवश्यक सहयोग हेतु सादर सूचनार्थ।
- 7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/ सहा0 आयुक्त, आदिवासी विकास, छ0ग0 को सूचनार्थ कर लेख है कि अपने जिले के समस्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यों को तत्संबंध में सूचित करें एवं प्राचार्य से प्राप्त सूचना को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 8 उपसचिव प्रशासनिक/विद्योचित/पंजीयक, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
- 9 संभागीय अधिकारी, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं राजनांदगांव।
- 10 समस्त सहा0 सचिव/सहा0 प्रा0 छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।  
उपरोक्त को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समप्रेषित।

  
सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

## नियम पुस्तिका

(खेलकूद, एन0सी0सी0, स्काउट/गाइड, एन0एस0एस0 एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को परीक्षाओं में बोनस अंक विषयक)

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 13-34/2012/20-3 रायपुर दिनांक 31.08.12 के द्वारा मण्डल की परीक्षा/परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 30.04.2012 एवं मण्डल के परीक्षा समिति बैठक दिनांक 09.12.2016 में प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के आधार पर लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावित, खेलकूद, स्काउट-गाइड, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 में प्रावीण्य छात्रों को परीक्षा में बोनस अंक विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। साथ ही साक्षर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने एवं मण्डल द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए आदेशित किया गया है। जिसका विवरण बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स्तर के आधार पर बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार है।

### (1) प्रस्तावित गतिविधियाँ

स.क्र.	गतिविधि का नाम	स्तर के अनुसार अंक वितरण					
		राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय			
1.	खेलकूद व्यक्तिगत/ टीम खेल पदक प्राप्त	राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय			
		10 अंक	15 अंक	20 अंक			
2.	एन0 सी0 सी0	आर0डी0 परेड	मावलंकर शूटिंग	वायु सैनिक	नौसेना कैम्प	थलसेना कैम्प	डी0 कैट कैम्प ।
		15 अंक		15 अंक	15 अंक		10 अंक
3.	एन0 एस0 एस0	आर0डी0 परेड					
		15 अंक					
4.	स्काउट/गाइड	राज्यपाल	राष्ट्रपति				
		10 अंक	15 अंक				
5.	साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक	प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को बेसिक प्राइमर के साथ-साथ ब्रिज प्राइमर (सेतु प्रवेशिका) का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराया हों।					
		10 अंक					

## (2) पात्रता हेतु सामान्य शर्तें :-

- 1 खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काऊट/गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को बोनस अंक का लाभ उपलब्धि प्राप्त सत्र में ही दिया जाएगा।
- 2 खेलों में प्रथम से तृतीय स्थान तक समान लाभ दिया जाएगा।
- 3 बोनस अंक का लाभ केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ही दिया जाएगा।
- 4 बोनस अंक का लाभ केवल एक बार मुख्य परीक्षा में प्रदाय किया जाएगा। परीक्षार्थियों को बोनस अंक मुख्य परीक्षा में परीक्षाफल उत्तीर्ण होने की दशा में ही अनुत्तीर्ण विषयों में आवश्यकतानुसार अंक जोड़ा जायेगा अन्यथा बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा, तथा शेष अंक महायोग में सम्मिलित किया जायेगा, अथवा अनुत्तीर्ण होने की दशा में पात्रता अनुसार बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पहले से ही समस्त विषयों में उत्तीर्ण है तो, बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पूरा अथवा क्रेडिट योजना के तहत आगामी परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो परीक्षार्थी को प्राप्त बोनस अंक स्वमेव निरस्त हो जायेगा। मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- 5 खेल, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काऊट/गाइड, साक्षर भारत गतिविधि में व्यतीत कार्य दिवसों एवं विद्यालय में उपस्थिति का योग मण्डल के नियमानुसार होना चाहिए। मण्डल के परीक्षा में प्रवेश संबंधी नियमों में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होता है। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की उपस्थिति मण्डल के नियमानुसार शिथिलनीय होगी।
- 6 गतिविधियों में संलग्न छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आवश्यकता होने पर पृथक से समय दिया जाएगा।
- 7 भारतीय ओलम्पिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघों तथा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्रदत्त प्रमाण पत्रों एवं मान्यता प्राप्त खेलों के विद्यार्थियों को ही बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।
- 8 स्कूल गेम्स एवं मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित ओपेन गेम्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बोनस अंक की पात्रता होगी।

(3) अंकसूची का निरूपण :- अंकसूची में वर्तमान व्यवस्था अनुरूप बोनस अंको को अतिरिक्त कॉलम में दर्शाया जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने पर इन अंको को ग्रेड्स में व्यक्त किया जाएगा। अंकसूची में बोनस अंक के सम्मुख का (#) चिन्ह या अन्य कोई चिन्ह लगाकर **Foot Note** में उसका विवरण दिया जाएगा।

(4) परीक्षण/विश्लेषण प्रमाणीकरण :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र [बिन्दु क्र. -6{B(1)} में उल्लेखित] में विभाग के प्रमुख का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। (प्रपत्र संलग्न है)

(5) बोनस अंक नीति :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक को विभिन्न स्तरों पर निर्धारित बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. बोनस अंको का वितरण समस्त विषयों में किया जा सकेगा।
2. कृपांक नीति के अतिरिक्त बोनस अंको का लाभ विद्यार्थी को दिया जायेगा।  
उदाहरण :- यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण होने की दशा में छात्रहित में कृपांक प्राप्त करने वाले विषयों में भी निर्धारित बोनस अंक में से आवश्यकतानुसार बोनस अंक दिये जावें।
3. उत्तीर्ण होने की स्थिति में महायोग में बोनस अंको को जोड़ा जावे।  
उदाहरण :- 310/500 है तो उसे 310+10 = 320/500 प्रदर्शित किया जावेगा।
4. अंक के सम्मुख (#) चिन्ह अंकित किया जावेगा।
5. समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने पर महायोग में बोनस अंको को जोड़कर श्रेणी प्रदान किया जायेगा।
6. बोनस अंक जोड़कर पूर्णांक से अधिक नहीं होना चाहिए।  
उदाहरण :- 495/500, यदि 10 अंक देने है तो अधिकतम 05 अंक जोड़ना है।

7. सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कृपांक के साथ बोनस अंकों का लाभ उत्तीर्ण होने की दशा में ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार दी जायेगी।

बोनस अंको का विभाजन निम्न प्रकार से किया जावे

(i) परीक्षार्थी का परीक्षाफल उत्तीर्ण होने की दशा में ही उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक अंक संबंधित विषय में जोड़े जावे।

(ii) शेष अंक महायोग में जोड़े जावे।

8. एक से अधिक गतिविधि में प्रदर्शन की स्थिति में खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काऊट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम में से किसी एक में जिसमें प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ (जिसमें सर्वाधिक अंक है) रहा है, का चयन कर विद्यार्थी को निर्धारित बोनस अंक प्रदान किया जा सकेगा।

**(6) बोनस अंक नीति की प्रक्रिया :-**(A) कक्षा 9वीं एवं 11वीं में निर्धारित बोनस अंकों का लाभ चयनित विद्यार्थी को नियमानुसार विद्यालय के द्वारा दिया जावेगा इस हेतु -

I. संबंधित शाला के प्राचार्य की अध्यक्षता में 03 से 05 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए। समिति चयनित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों का परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों को देय निर्धारित अंकों के साथ सूची शाला की परीक्षा समिति/प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र - कक्षा 10वीं, 12वीं के अनुसार सौंपेगी।

II. इससे संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित शाला में सुरक्षित रखे जाएंगे जिनका समय-समय पर मण्डल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा सकेगा।

**(B)** माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बोनस अंक का लाभ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जावेगा। बोनस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित की जावे।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रपत्र तैयार किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं -

I. खेलकूद - व्यक्तिगत एवं सामूहिक में पदक प्राप्त - प्रपत्र-I (A) प्रपत्र-I (B)

II. एन0 सी0 सी0 - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-II (A) प्रपत्र-II (B)

III. एन0 एस0 एस0 - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-III (A) प्रपत्र-III (B)

IV. स्काऊट एवं गाइड - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-IV (A) प्रपत्र-IV (B)

V. साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक - प्रशिक्षित एवं पंजीकृत - प्रपत्र-V (A) प्रपत्र-V (B)

2. चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिनांक 31.01.2017 तक प्रेषित की जावेगी।

3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 10.02.2017 तक प्रेषित की जावेगी।

4. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट एवं गाइड तथा साक्षर भारत कार्यक्रम के राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को दिनांक 20.02.2017 तक प्रेषित की जावेगी।

5. खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर दिनांक 28.02.2017 तक संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित की जावेगी।

- 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक **10.03.2017** तक प्रेषित की जावेगी।
- 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टी संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम **Moderation** के समय किया जावेगा।

**(7) अन्य निर्देश :-**

1. मण्डल की वर्तमान कृपांक योजना यथावत रखी जाएगी।
2. मण्डल द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जायेगा।
3. संपूर्ण पूर्व तैयारी के बिना योजना को लागू नहीं किया जाएगा।
4. समय-समय पर योजना की प्रचलित राज्यों का भली-भांति अध्ययन किया जाएगा।
5. बोनस अंको के बाद अधिकतम अंको का निर्धारण अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाएगा।
6. बोनस पृथक से अंकसूची में दर्शाने के स्थान पर ग्रेडिंग पर विचार किया जाएगा।
7. बोनस अंको का निर्धारण परीक्षा परिणामों के **Moderation** के समय किया जावेगा। यदि छात्र के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र है तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लाभ हेतु चुना जाएगा।
8. क्रियान्वयन हेतु सभी संबद्ध कार्यालय प्रमुखों से समय-समय पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शी बिन्दुओं, क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा सकता है।
9. राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए सी.बी.एस.ई. के द्वारा प्रावधानित नीति के संबंध में छ0ग0 राज्य शासन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रावधानित किया गया कि यदि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधि में भाग लेता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अर्हता हेतु आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत को शिथिल कर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 60 प्रतिशत से भी कम होती है तो छ0ग0मा0शि0 मण्डल के अध्यक्ष द्वारा **(उचित माध्यम एवं प्रमाण के आधार पर)** विचार किया जा सकेगा।
- 10 **साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने हेतु शर्तें निम्नानुसार होगी :-**
  - (i) अनुदेशक साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत हो।
  - (ii) उसके द्वारा अनुदेशक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
  - (iii) शैक्षणिक क्षेत्र के दौरान उसके द्वारा न्यूनतम 10 असाक्षरों को बेसिक प्राईमर **(बुनियादी प्रवेशिका)** के साथ ब्रिज प्राईमर **(सेतु प्रवेशिका)** का पठन-पाठन लगातार 6 माह तक अथवा 200 घण्टें तक कराया गया हो।
  - (iv) अनुदेशक द्वारा पढ़ाये गये न्यूनतम 10 असाक्षर शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तथा निर्धारित "क" एवं "ख" श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हों।
  - (v) जिला परियोजना अधिकारी, साक्षर भारत कार्यक्रम से उपर्युक्तानुसार अनुदेशकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने पर संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पात्र छात्र-छात्राओं की सूची संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदान करने हेतु प्रदाय की जावेगी।
- 11 बोनस अंक प्रदान करने की इस नीति में निर्वचन/संशोधन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को होगा।



सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-I (A) -कक्षा-10वीं

गतिविधि-(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो०नं०	खेल का प्रकार -व्यक्तिगत /समूह	प्राप्त स्थान प्रथम/द्वितीय /तृतीय	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
											राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अन्तर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्काउट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-I (B) -कक्षा-12वीं  
गतिविधि-(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो०नं०	खेल का प्रकार -व्यक्तिगत / समूह	प्राप्त स्थान प्रथम/द्वितीय / तृतीय	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
											राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अन्तर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्कार्ट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्कार्ट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (A) -कक्षा-10वीं  
गतिविधि-(2) एन0 सी0 सी0 (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर0डी0 परेड (15अंक)	मावलंकर शुटिंग (15अंक)	वायुसैनिक/नौ सैनिक/थल सेना कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख
नाम.....	नाम.....	नाम.....
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा
		संचालक
		लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (B) -कक्षा-12वीं  
गतिविधि-(2) एन0 सी0 सी0 (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर0डी0 परेड (15अंक)	मावलंकर शुटिंग (15अंक)	वायुसैनिक/नौ सैनिक/थल सेना कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम.....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)

नाम.....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम.....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।

3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।

5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।

7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (A) -कक्षा-10वीं  
गतिविधि-(3) एन0 एस0 एस0 (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
									आर0 डी0 परेड हेतु (15अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्कार्ट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्कार्ट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (B) -कक्षा-12वीं गतिविधि-(3) एन0 एस0 एस0 (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
								आर0 डी0 परेड हेतु (15अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-IV (A) -कक्षा-10वीं  
गतिविधि-(4) स्कार्ट/गाइड (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो०नं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्कार्ट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/स्कार्ट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-IV (B) -कक्षा-12वीं  
गतिविधि-(4) स्काऊट/गाइड (पुरस्कृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख नाम.....	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.) नाम.....	राज्य/विभाग प्रमुख नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (A) -कक्षा-10वीं  
गतिविधि-(5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को बेसिक प्राइमर के साथ-साथ ब्रिज प्राइमर (सेतु प्रवेशिका) का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराया हों। 10 अंक

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

gLrk{kj	gLrk{kj	gLrk{kj	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (B) -कक्षा-12वीं  
गतिविधि-(5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)

सत्र-.....

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0नं0	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को बेसिक प्राइमर के साथ-साथ ब्रिज प्राइमर (सेतु प्रवेशिका) का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराया हों। 10 अंक

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
संस्था प्रमुख	जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त(टी.डब्लू.डी.)	राज्य/विभाग प्रमुख	
नाम.....	नाम.....	नाम.....	संचालक
पदमुद्रा	पदमुद्रा	पदमुद्रा	लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- 1 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
  - 2 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 4 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्कार्ट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
  - 5 खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्कार्ट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
  - 6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
  - 7 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
  - 8 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।